CNR No UPMH010026012026

न्यायालय सेशन न्यायाधीश, महराजगंज

उपस्थितः अरविन्द मलिक, एच0जे0एस0 आई0डी0यू0पी01904

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–735 / 2026

मनीष प्रजापति उम्र करीब 26 वर्ष पुत्र स्व0 मुन्नीलाल निवासी ग्राम–परसा खुर्द, थाना भिटौली, जनपद महराजगंज

...आवेदक / अभियुक्त

बनाम

उ0प्र0राज्य ...अभियोजन पक्ष

अपराध संख्या–100 / 2026
धारा–109(1),115(2),352,351(3) बी0एन0एस0
थाना–भिटौली, जनपद–महराजगंज।

09–06–2026

निस्तारण प्रार्थनापत्र 3क

1– प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र आवेदक / अभियुक्त मनीष प्रजापति की ओर से अपराध संख्या–109(1), 115(2), 352, 351(3) बी0एन0एस0 ाना–भिटौली, जनपद–महराजगंज में जमानत हेतु संस्थित किया गया है। आवेदक / अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार में निरूद्ध है।

2– आवेदक / अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र के साथ प्रस्तुत शपथपत्र में यह कथन किया गया है कि उसका इस न्यायालय में यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है और उसका कोई अन्य जमानत प्रार्थनापत्र माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में न तो दाखिल है और न ही खारिज हुआ है।

3– अभियोजन केस संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी रमेश प्रजापति ने दिनांक 26–05–2026 को थाना भिटौली, जिला महराजगंज में इस आशय का तहरीर दिया कि दिनांक 26–05–2026 को घर पर मेरे बेटे नितेश प्रजापति उम्र 18 वर्ष व चन्दन प्रजापति पुत्र महेश प्रजापति आपस में महेश प्रजापति के शादी के फोटो देखकर हंसी–मजाक कर रहे थे तभी उनका चाचा मनीष प्रजापति पुत्र मुन्नी लाल उम्र 26 वर्ष इनको हंसी–मजाक करने से मना करने लगा और गाली देने लगा तभी मेरे बेटे नितेश व चन्दन ने गाली देने से मना किया जिस पर समय 02:30 बजे दिन में मनीष प्रजापति घर के अन्दर से चाकू लाकर जान से मारने की नीयत से नितेश के पेट में चाकू मार दिया जिससे नितेश गम्भीर रूप से घायल हो

गये। बीच बचाव में चन्दन को चोटें आयीं। मैं अपने बेटे को इलाज के लिये परतावल ले गया। वहां डाक्टर साहब ने मेडिकल कालेज, गोरखपुर के लिये रिफर कर दिया। मेडिकल कालेज में मेरे बेटे का इलाज चल रहा है। वादी द्वारा मुकदमा कानूनी कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया। वादी की सूचना पर थाना भिटौली, जिला महराजगंज में दिनांक 26–05–2026 को समय 21:06 बजे अपराध सं0–100/2026 अन्तर्गत धारा–109(1) एवं 352 बी0एन0एस0 अभियुक्त मनीष प्रजापति के विरूद्ध दर्ज किया गया। दौरान विवेचना इस मामले में धारा–115(2), 351(3) की बढ़ोत्तरी हुयी।

4– उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्को को सुना गया तथा अभिलेखों का सम्यक अवलोकन किया।

5– आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य तर्क यह प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त पूर्णतया निर्दोष है। उसने कोई अपराध नहीं किया है। उसे जानबूझकर मुकदमें में फंसाने के उद्देश्य से तथाकथित वादी मुकदमा द्वारा तहरीर लिखकर मुकदमा दर्ज कराया गया है। आवेदक व वादी मुकदमा सगे पिता के दोनो पुत्र है। आपस में दोनो का सम्बन्ध सगे भाई का है। वादी मुकदमा बड़ा भाई है व आवेदक छोटा भाई है। प्रथम सूचना रिपोर्ट मकें लिखी गयी बातों पर धाराये लगाने में पुलिस को कुछ कमा लगा तो पुलिस ने अभियुक्त को जेल भेजते समय धाराओं की वृद्धि कर दी जो प्रथम सूचना रिपोर्ट से सम्बन्ध नहीं रखते हैं। इस तरह लगायी गयी समस्त धारायें काल्पनिक घटना पर आधारित है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। जमानत के उपरान्त आवेदक मुकदमें की विवेचना में सहयोग करेगा, अनुरोध किया कि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाये।

6– अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुये यह तथ्य रखा गया है कि आवेदक/अभियुक्त ने जान से मारने की नीयत से चाकू से चोटहिल के पेट में मारा। आवेदक की निशानदेही पर उसके घर से घटना में प्रयुक्त चाकू बरामद हुआ है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है, अनुरोध किया कि आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाये।

7– उभय पक्षों के तर्को के परिप्रेक्ष्य में केस डायरी के परिशीलन से विदित है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार आवेदक/अभियुक्त जान से मारने की नीयत से चाकू से चोटहिल नितेश प्रजापति के पेट में मारा गया। दौरान विवेचना आवेदक की निशानदेही पर उसके घर से घटना में प्रयुक्त चाकू बरामद होना कहा गया है।

प्रस्तुत मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार यह स्पष्ट है कि वादी मुकदमा, आवेदक/अभियुक्त का सगा भाई है और उनके मध्य आपस में जमीन व मकान का विवाद होने का तथ्य अभिकथित है। इस तथ्य का समर्थन स्वयं वादी द्वारा दौरान विवेचना विवेचक को दिये गये अपने बयान में भी किया गया है। यद्यपि अभियोजन प्रपत्र के अनुसार चोटहिल के पेट में चाकू की चोट लगा होना कहा गया है परन्तु चोट पर

कोई टांका लगा था या नहीं यह स्पष्ट नहीं है। चोट का आकार क्या था, यह भी स्पष्ट नहीं है। इसके अतिरिक्त चाकू के प्रहार से चोटहिल के शरीर पर पहने हुये वस्त्र में चाकू लगने से कटने का कोई निशान आना भी नहीं बताया गया है। आवेदक/अभियुक्त का पूर्व का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 27–05–2026 से कारागार में निरूद्ध होना बताया गया है।

प्रकरण अभी विवेचनाधीन है। उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये मामले के गुणदोष पर कोई टिप्पणी किये बिना आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार होने योग्य है।

आदेश

8– आवेदक/अभियुक्त मनीष प्रजापति का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा अंकन 1,00,000/–रूपये (एक लाख रूपये) का निजी बन्धपत्र एवं समान राशि के दो जमानती संबंधित न्यायालय की सन्तुष्टि के अनुरूप दाखिल करने पर निम्नलिखित शर्तो के साथ जमानत पर अवमुक्त किया जाएः–

1. यह कि आवेदक/अभियुक्त विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

2. यह कि आवेदक/अभियुक्त, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, मामले के गवाहान को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं करेगा और न ही उनको किसी प्रकार की कोई धमकी आदि देगा।

3. आवेदक/अभियुक्त किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधि में भाग नहीं लेगा और बिना न्यायालय की पूर्व अनुमति के भारत देश छोड़कर नहीं जायेगा।

9– उपरोक्त शर्तो में से किसी भी शर्त का आवेदक/अभियुक्त द्वारा उल्लंघन किये जाने पर उसका यह जमानत आदेश सम्बन्धित न्यायालय द्वारा निरस्त किया जा सकता है।

दिनाँकः 09–06–2026

(अरविन्द मलिक)
आई0डी0यू0पी0 1904
सेशन न्यायाधीश,
महराजगंज।